भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1056
29 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के अंतर्गत दावों का निपटान

1056. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों और सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभों की सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) क्या आयुष्मान वय वंदना कार्ड के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों को शामिल करने हेतु कोई मानक प्रक्रिया अधिसूचित की गई है; और

(ग) क्या मंत्रालय आयुष्मान वय वंदना कार्ड के शुभारंभ के बाद से इसके अंतर्गत निपटाए गए दावों की संख्या साझा कर सकता है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): दिनांक 29.10.2024 को, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया, ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार लाभ प्रदान किया जा सके।

एबी-पीएमजेएवाई की पोर्टेबिलिटी सुविधा के अंतर्गत, पात्र लाभार्थी देश भर में 31,466 पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वे कहीं भी रहते हों। यह पोर्टेबिलिटी सुविधा एबी-पीएमजेएवाई और वय वंदना योजना, दोनों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

(ख): वय वंदना योजना के लाभार्थी 14,194 निजी स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत अस्पतालों के पैनलीकरण हेतु अस्पताल पैनलीकरण और प्रबंधन (एचईएम) दिशानिर्देश जारी किए हैं। विस्तृत एचईएम दिशानिर्देश निम्नलिखित वेबलिंक पर उपलब्ध हैं: https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2020-06/Empanelment-and-De-empanelment-guidelines.pdf

(ग): आयुष्मान वंदना योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 1.06 लाख से अधिक दावों का निपटान किया जा चुका है।

*****